



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 03/2017

दायर दिनांक 12.01.2017

सत्यमेव जयते: वादी	प्रतिवादीगण
1. भंवरी देवी पत्नी पुरुषोत्तम जाति जाट निवासी सिंघाना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम् 1. ज्ञानाराम पुत्र सुखाराम 2. नारायणराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार, डीडवाना 4. किस्तुराराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री शिवभगवान चौधरी, वकील, वादी।
2. श्री चेनाराम थौरी वकील प्रतिवादी सं0 02 व 04 की तरफ से।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 14.11.2019

मौजा सरहद मडाम के खेत खसरा नम्बर 32 रकबा 19 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02, 04 के मध्य बाईमीटर्स एण्ड वाउण्डर्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 23.05.2018 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1321 दिनांक 02.05.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 1321

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)


राजस्व-वाद, संख्या 03/2017
दायर दिनांक 12.01.2017, अंतिम निर्णय दिनांक 14.11.2019
भंवरी देवी बनाम ज्ञानाराम वगैरा।

दिनांक 02.05.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मडाम के खेत खसरा नम्बर 32 रकबा 19 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 1321 दिनांक 02.05.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 1321 दिनांक 02.05.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(अंशुल सिंह)
सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

डिक्री व मुकद्दमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्का दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
इजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 03/2017

दायर दिनांक 12.01.2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरी देवी पत्नी पुरुषोत्तम जाति जाट निवासी सिंधाना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. ज्ञानाराम पुत्र सुखाराम 2. नारायणराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी सिंधाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार, डीडवाना 4. किस्तुराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी सिंधाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0


दावा बाबत
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 14.11.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री शिवभगवान, वकील, वादी व श्री चेनाराम वकील प्रतिवादी सं0 02 की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर सरहद मडाम के खेत खसरा नम्बर 32 रकबा 19 बीघा भूमि का "वाईमिड्स एण्ड वाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 1321 दिनांक 02.05.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 1321 दिनांक 02.05.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.11.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफरिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)